



SPEED POST

No. 11/4/2014- VS (CRS)/143

भारतसरकार

GOVERNMENT OF INDIA गृहमंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA जीवनांक प्रभाग, नागरिक पंजीयन योजना, 2-ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली – 110011

V.S. Division, Civil Registration System, 2-A, Mansingh Road, New Delhi – 110011

E-mail: rgi.rgi@nic.in drg-crs.rgi@nic.in manojlSS9.rgi@nic.in Dated- 30-05-2018

CIRCULAR

Subject: Inclusion of details of widow in the death records of her husband_regarding.

Please refer this office D.O. letter of even number dated 27-02-2018 through which you were requested to implement the Para 2.1(a) of the Report of expert committee constituted under the directions of Hon'ble Supreme Court by judgement dated 11-08-2017 passed against a Writ Petition(c) No. 659/2007. In the above mentioned report, the Para 2.1(a) of common working plan relates to common database of widows which pertains to registration of death, requires that on registration of death of a male, the name, age and contact details of the widow should also be recorded to ensure that the name of the widow is compulsorily mentioned in the death certificate of her husband.

2. You are aware that Name of husband/wife of the deceased has already been included in the existing death reporting and death certificate form (form no. 2 and 6). However, in order to include the age and contact details of the husband/wife in the death reporting form, it has been decided to add the following column in the legal part of death reporting form (form no.2):-

(Death reporting form)	Modified Column (To be made)
Item 5b	Age of husband/wife
Item 5c	Contact details of husband/wife

3. The specimen of the revised form is enclosed for your ready reference. In this connection, necessary permission as required under Section 30(1) of the RBD Act, 1969 is granted to amend the respective State Rule 5 and requested to include the aforesaid modified columns in form no.2 i.e.in Death Reporting form. It is also clarified that format of Death Register (form no.8) would also be changed automatically after making necessary changes in the legal part of the Death Reporting form.





4. You are therefore requested to initiate the action for amending the relevant Rules and ensure the inclusion of aforesaid items in form No. 2. This office may also be appraised about the action taken in this regard along with the copy of notification issued.

(SAILESH)

Registrar General India

Encl:- Revised Death reporting Form (Form no. 2)

To

The Chief Registrar of births and deaths of all States/UT's



No. 11/4/2014 VS (CRS) dated 30-05-2018, New Delhi-110011

Copy forwarded to the concerned DCO office with the request to take up the matter with the Chief Registrar of births and deaths.

Manoj Kumar)

Deputy Registrar General (CRS)



FORM NO.2

DEATH REPORT

Legal information

This part to be added to the Death Register

DEATH REPORT

Statistical information

This part to be detached and sent for statistical processing

			-			
	To be filled by the informant		7	To be filled by the informant		To be filled by the informant
+	Date of Death: (Enter the exact day, month and year the death took place e.g. 1-1-2000)		:	Town or Village of Residence of the deceased: (Place where the deceased actually lived. This can be different from the place where the death occurred. The	ed ls.	Was the cause of death medically certified?: (Tick the appropriate entry below)
7	Name of the Deceased : (Fill name as istable written)			house address is not required to be entered.)		1.Yes 2. No
r	TITIN No. 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			a) Name of Town/Village:	16.	The second secon
က်				1. Town 2. Village		Name of Disease or Actual Cause of Death: (For all deaths irrespective of whether medically certified or not)
4	0.000			c) Name of District : d) Name of State :	17.	
	UID No of Mother (if any)		12.			In case this is a female death, did the death occur while
5.	Name of Father			Religion: (Tick the appropriate entry below)		pregnant, at the time of delivery or within 6 weeks after the end of pregnancy: (Tick the appropriate entry below)
20				1. Hindu 2. Muslim 3.Christian		1.Yes 2. No
				4. Any other religion: (write the name of the religion)	9	
5b	Age of husband/wife:	í			xi ———	If used to habitually smoke - for how many years?
20	Contact details of husband/wife:	guis	<u>6</u> ,	Occupation of the deceased:	6	If issay to habitually cham tohard is any
69		ces			<u>-</u>	form -
	age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months, and if below 1 month give age in completed number of days, and if below 1 montrs).	al pro	4.	Type of medical attention received before death: (Tick the appropriate entry below)		for how many years?
1		tics		landituditudi	20.	If used to habitually chew arecanut in any form
٠,	Address of the deceased at the time of death;	sits				(including pain masara) - for how many years?
ထ်တ		is i		Medical attention other than institution		
;	Hospital Institution or the address of the house where the death took place. If other lace, give location)	uəs p		3. No medical attention	21.	If used to habitually drink alcohol - for how many years?
	.Hospital/ Name :	ue pe				
	2.House Address:	эцэг				
	3.Other Place	steb				
10.	Informant's name :	эq				
	Address:	οΤ				
(Affe 1 to and:	After completing all columns 1 to 21, informant will put date and signature here:)					
Date	8: Signature or left thumh mark of the informant		1			
		1	1		(Colar	(Columns to be filled are over. Now put signature at left)
0	Tob			To be filled by the Registrar	y the Regist	rar
20 00	Registration Date: Recistration Init:			Name Code No. Re	Registration No.	No.: Registration Date;
Town	Town/Nilane District				Date of Death:	Sex: 1.Male 2.Female
Rem	(\(\)			. 900	Age:	Years/months/days/hours
				:10	ace of Deat	Place of Death: 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other Place
	Name and Signature of the Registrar					Name and Signature of the Registrar





सं. 11/4/2014-वीएस(सीआरएस) भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA गृहमंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA जीवनांक प्रभाग, नागरिक पंजीयन योजना, 2-ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली – 110011

V.S. Division, Civil Registration System, 2-A, Mansingh Road, New Delhi – 110011 ई-मेल- rgi.rgi@nic.in drg-crs.rgi@nic.in manojlSS9.rgi@nic.in दिनांक 30.05.2018

परिपत्र

विषय:- विधवा के ब्यौरे को उसके पति के मृत्यु रिकार्ड में शामिल करने के संबंध में।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 27.02.2018 के समसंख्यक अ.शा. पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से आपसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं. 659/2007 के संबंध में पारित दिनांक 11.08.2017 के निर्णय के निर्देशों के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के पैरा 2.1 (ए) को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट के सामान्य कार्यकारी योजना संबंधी पैरा 2.1 (ए), जोिक मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में विधवा के सामान्य डाटा बेस का वर्णन करता है, में पुरूष की मृत्यु के पंजीकरण के समय विधवा का नाम, आयु और संपर्क संबंधी ब्यौरे दर्ज किया जाना अपेक्षित है तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पित के मृत्यु प्रमाण पत्र में विधवा के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख हो।

2. आप जानते हैं कि मृत्यु की सूचना तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के मौजूदा फार्म (फार्म सं. 2 और 6) में मृतक के पित/ पत्नी का नाम पहले ही शामिल किया जा चुका है। तथापि, मृत्यु की सूचना संबंधी फार्म में पित/पत्नी की आयु और संपर्क ब्यौरों को शामिल करने के लिए मृत्यु सूचना प्रपत्र (फार्म सं. 2) के विधिक हिस्से में निम्नलिखित कालम जोड़ने का निर्णय लिया गया है:-

(मृत्यु सूचना प्रपत्र)	संशोधित कालम (बनाया जाना है)
मद 5 ख	पति/पत्नी की आयु
मद ५ ग	पति/पत्नी का संपर्क विवरण

3. आपके सुलभ संदर्भ के लिए संशोधित फार्म का नमूना संलग्न किया जाता है। इस संबंध में संबंधित राज्य नियम 5 में संशोधन करने के लिए आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 30(1) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित आवश्यक अनुमित प्रदान की जाती है तथा उपर्युक्त संशोधित कालम को फार्म सं. 2 अर्थात मृत्यु सूचना प्रपत्र में शामिल करने का अनुरोध किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु सूचना प्रपत्र के विधिक हिस्से में आवश्यक परिवर्तन करने के पश्चात मृत्यु रजिस्टर (फार्म सं. 8) का प्रारूप स्वतः परिवर्तित हो जाएगा।



4. इसलिए आपसे संबंधित नियमों में संशोधन करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने और फार्म सं. 2 में उपर्युक्त मदों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। जारी की गई अधिसूचना की प्रति सहित इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए।

र्शिलेश) भारत के महारजिस्ट्रार

संलग्नकः मृत्यु सूचना संशोधित प्रपत्र (फार्म सं. 2)

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।



सं. 11/4/2014 वीएस(वीआरएस) दिनांक 30.05.2018, नई दिल्ली-110011

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु के साथ इस मामले को उठाने के अनुरोध सहित प्रति संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय कार्यालय को प्रेषित

्रिक्ट्रीय (सीआरएस)



मृत्यु मध्ये मुचन

प्रथम 2

विधिक मचना

उस भाम की मृज्यु रजिस्टुए के साथ जोड़ा आएगा

इस भाग को अलग कर माखियकीय कार्य के लिए देना जाएगा

गान्ध्यकीय सूचना मृत्यु संबंधी सूचना

中中 बीचारी का नाम अथवा मृत्यु का वास्तविक कारण:(नमी मृत्यु के लिए माहे उनका चिकित्सीय प्रमाणन हुआ या नहीं) यदि यह महिला की मृत्यु है, क्या यह मृत्यु मर्मायन्या के दौरान हुई, प्रसन के समय अथवा सर्थकाल के पथा त6 सप्ताह के भीतर हुई। यदि आक्षमन किसी भी प्रकार की सुपारी चबाते थे (पान मसाला -किसने पदि आदतन किसी भी प्रकार के तंबाकु का सेवन करते थे - फिताने स्या मृत्यु के कारण का भिक्षित्नीय प्रमाणन हुआ या ? (भरे आने बाने काजम पूरे हो गए हैं। अब बापी और हरनाथर करें) गिक्ट्रार का नाम एवं हत्नाक्षर पंजीकरण निथि: निंग: 1, पुरुष 2. महिला (तीचे उपयुक्तानुसार मही का निशान दर्ज करें) मृत्यु का स्थान: 1. अस्पनान/वेश्या 2. षर 3. अस्य स्थान यदि आदतम श्रुप्रपास करते थे -कितने बच्चों से ? यदि आदतन गराब पीते थे - कितने वर्षों से? उपयुष्टमानुसार मही का निशान दर्भ करें। 2. HEF 2. 元 अर्थ / महीते / जिन / यरे THERETAIN THAT STREET *hc पेजीकरण में : मृत्यु की मारीख : 1. un. φ. 18 0) 20 23 रजिस्ट्रार द्वारा भरे जाने के लिए नगर अथवा गांव जहां चुतक का निवास था ।(वह स्थान जहां मुन्ह हास्ताह करा प्रकास करा प्रवास करा का प्रकास करा का में नहता था। यह उस स्थान में भिन्न हो सफना है जहां चृत्क की चृत्व हुई थी। घर का पना रही करने की आकण्यकता नहीं है।) मृत्यु के पहले मिली जिक्तिमीय देखभाल (मीले उपयुक्तानुसार मही का निशात कहें करे) वह नगर है अथवा गांब है : (मीजे उपयुक्तानुसार मही का निशान दर्ज करें) क्रीड म कोई अन्य धर्म : (धर्म का नाम निन्हें) धर्मः (नीचे उपयुक्तानुसार मही का निशास दर्ज करे) गैर मंख्यागत चिकित्सीय देखभाज जिफित्मीय देखभाज मही प्राप्त हुई 1. हिंदु 2. मुसलमान 3. ईसाई नगर 2 गांव मूतक का पेशा (यदि कोए पेशा वहीं तो भूत्य निष्ये) मुचनाहाता हारा भग जाएगा नगर/गांव का नाम 1. नगर जिलेकानामः राज्य का नाम : संस्थान 2 m a) p) G G # 2 3 14 संभव्यकीय कार्य के लिए, अलग करे 4 नगर/वांच् पंजीकरण इकाई मृत्यु का स्थान: (नीचे विए गए 1,2 अथवा 3 में उपयुक्त प्रविष्टि दर्ज करें और उस अस्पतान/संस्था अथवा घर का पना थी, अयु महीनों में डे और दक्षि । महीने में कम थी तो जीवित रहे दिनों में अगु हैं, और यदि एक दिन से कम दी, धंटों मृतक की आयु. (यदि मृनक की आयु । बर्ष ने अधिक थी, आयु पूर्ण बर्गों में हैं, यदि मृनक की आयु । बर्ग में क्रम की मृत्यु की तारीच (जब कृत्यु हुई भी बड़ी दिन, माह और बर्ग दर्ज करें, उदा: 1-1-2000) मुचनादाता के हस्ताक्षर अथवा बांदे अंगूठे का निशान मिन्द्राम द्वाग भने जाने के लिए मृतक का जिंग :: (फुरा, अववा "महिना" अथवा फिसर" दर्भ करें) पंजीबन्स्य निश्चि (1 से 2) तक मभी फालम पुरे करने के बाद, सुचनादाता यहा जिथि दर्ज हें जहां मृत्यू हुई भी। यदि अन्य न्यान, न्यान का नाम) Smr. माम स भूतक का नाम : (पूरा नाम जैसे सामान्यन जिल्हा जाना है) पति/पनी का नाम पति/पनी की यू आई.डी सं (यदि है) अस्पताम/संस्था पिता भा नाम पिता की यू आई.डी में (यदि है) मुतक की यू.आई.डी मं (यदि है) माता की यू आई. ही में (यदि है) प्रमाशाम हाना धना आएक अन्य स्थान पति/पत्री का संगर्क जिबन्गरः मृन्यु के समय यूनक का पना: मंदिएमी भा एयीम न क्षेत्रे) 1 मृतक का स्थायी पना सुचनादाता का नाम: पतिराक्षी की आयु महरेगे और प्रम्याखर करेगे) माना का नाम पंजीकरण सं पंजीकरण इकाई: नगर/गांव : टिप्पणी: (यदि कोई है) 10 9 F 89 6 r) 4 uć. 180 150 54 0